

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : अपील संख्या : 1154 / 2014..... जिला : कोटा.....


उनवान मैसर्स रेजोनेन्स एजूवेन्चर्स प्रा.लि., कोटा बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन,कोटा


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.07.2014	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री अमर सिंह, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के ओर से अभिभाषक श्री डी.कुमार एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>यह अपीलं अपीलीय अधिकारी वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, वृत्त-कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24, व 26 के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.03.2014 में कायम मांग राशि रु. 2,78,19,245/- में से रु. 1,72,93,278/-की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष रु.1,05,25,967/- पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक नहीं लगाने के कारण अपीलीय अधिकारी के आदेश को विवादित किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा आलोच्य वर्ष में कुल की गई खरीद पर रु. 26,45,771/-वैट पेटे भुगतान करना प्रदर्शित करते हुए उक्त राशि पर इनपुट क्रेडिट चाही गया है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सत्यापित होने पर तदनुसार कर ब्याज एवं शास्ति पेटे समयोजन देने की बात कहीं है। उनका यह भी कथन है कि टेस्ट एवं उससे सम्बन्धित प्रिन्टेड स्टैडी मैटीरियल रु. 2,69,69,271/-पर 5 प्रतिशत की दर से कर रु. 13,48,464/-आरोपित किया गया है, जो उचित नहीं है। उक्त कथन के समर्थन में उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम, 2006 के नियम 45 ए का हवाला दिया, जो निम्न प्रकार है :-</p> <p>"45A. Verification and adjustment of imput tax credit. Where a dealer or a person claims credit of imput tax paid by him, and if such credcit is not allowed for want of proper verification of deposits, the assessing authority himself shall get the verification done and shall not enforce the demand to the extent of the amount under adjustment, till such adjustment is allowed or the claim for such imput tax credit is rejected by an order in writing, as the case may be."</p> <p>उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 38(4) के अन्तर्गत दिनांक 27.06.2014 को पारित किया गया है, वह विश्लेषण रहित आदेश है एवं वह सुस्पष्ट कारणों के अभाव से ग्रस्त है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलान्तर्गत वसूली योग्य राशि रु. 1,05,25,967/-की वसूली को स्थगित करने का निवेदन किया।</p>	

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.06.2014 का समर्थन करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में विवादित स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 2,78,19,245/- में से रू. 1,72,93,278/- की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष रू.1,05,25,967/- पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि रू. 1,05,25,967/- की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।


8-7-14
(अमर सिंह)
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य